


फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

शांति बनाम नारायण

19/2012  
2025

7-2.

नाम आता या कार्यवाही	आता विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/06/2015	<p>परावनी का 30 दि। प्राणी अधिवक्ता अपस्थित। प्राणी अधिवक्ता से मुना गथा। परावनी का अवलोकन किया गया। मूल वाद धोकर इलाका उत्तरी एवं सदा निषेधाग का है।</p>	<p>22/06/2015</p>
	<p>प्राण प्रथम 30 दि। मुनिधा का मन्तव्य एवं अप्रुकीय शांति प्राणी रूप से प्रतीत नहीं होती है। अतः प्राण अधिवक्ता निषेधाग खारिज किया जाता है। आदेश मुनाया 21 था। परावनी के मूल दुमारा होकर उर्वर सम्पत् से 24 है।</p>	
	<p> उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर</p>	